

पद : अधीनस्थ अधिकारी
 नाम : अधीनस्थ अधिकारी
 दर्याबाज : 8-1-2018
Sawpda

वहाँ नाम न ही काट दीजिए।
 उसे मारने में उठा मृत्यु का सबी-पढी निरक्षण करना संभव न ही तो वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मृत्यु वतनाया जाए।
 उसमें अत्यकालीन पद दे भी सम्मिलित है।
 दिवगी - मर्यादें या शासकीय सेवा क (आवरण) नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक मृत्यु से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पदवी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक महीने की अवधि के परंपरागत यह धीपणा-पत्र मर कर प्रत्येक वर्ष के अंत तक का निरक्षण की तथा उसके द्वारा अर्जित अर्थात् उसे निरक्षण में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पद दे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अवल सम्पत्ति के बारे में।

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
वर्ष जिन, उच्चतम, वास्तविक तथा प्रथम का नाम, निरक्षण स्थिति स्थिति है	वर्ष तथा अन्य प्रथम	वर्ष						
वर्ष जिन, उच्चतम, वास्तविक तथा प्रथम का नाम, निरक्षण स्थिति स्थिति है	वर्ष तथा अन्य प्रथम	वर्ष						
वर्ष जिन, उच्चतम, वास्तविक तथा प्रथम का नाम, निरक्षण स्थिति स्थिति है	वर्ष तथा अन्य प्रथम	वर्ष						
वर्ष जिन, उच्चतम, वास्तविक तथा प्रथम का नाम, निरक्षण स्थिति स्थिति है	वर्ष तथा अन्य प्रथम	वर्ष						

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर्व) नाम तथा उस सेवा का नाम, निरक्षण वह ही
 2. वर्तमान धारित पद
 3. वर्तमान वेतन
 अर्थात् वेतनवृद्धि की तारीख
 अर्थात् वेतनवृद्धि की तारीख
 अर्थात् वेतनवृद्धि की तारीख